न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—श्री मूलचन्द लूणियां (आर. ए. एस.)

दावा संख्याः— 27/20 दिनांकः—22.09.2020

1. श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री गणपतराम उम्र 91 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नांगली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. जयपाल पुत्र बोयताराम
2. भंवरी पत्नी स्व. बोयताराम
3. नारायणी पत्नी बनवारी पुत्र नोपाराम
4. दीपक चौधरी पुत्र बनवारी पुत्र नोपाराम
5. भानसिंह पुत्र रामेश्वरलाल
6. रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल
7. सुगनसिंह पुत्र रामेश्वरलाल
8. रामकुमार पुत्र नोपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्रांम नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
9. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

...........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थिति अधिवक्ताः— श्री रिड़मलसिंह (वादी की ओर से)
श्रीमति कंचन खीचड़ (प्रतिवादीगण की ओर से)

—:निर्णयः—

वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 एक ही खानदान के व्यक्ति है, ग्राम नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 37 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 72 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 66/144 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल खसरे 4 कुल रकबा 36 बीघा 5 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 138 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 144 रकबा 2.52 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 90 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 91 रकबा 6.25 है. कुल रकबा 9.32 हैक्टेयर मे से वादी श्रीचन्द उक्त कृषि भूमि के 1/4 हिस्से की भूमि पर अपने पिता स्व. गणपतराम पुत्र मोतीलाल जाति जाट निवासी ग्राम नांगली के देहान्त के बाद से काबिज चला आ रहा है।

प्रसंगगत आराजी में सजरा खानदान के अनुसार स्व. गणपतराम, के धन्नाराम के नाम का कोई पुत्र नही था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने वादी को बिना जानकारी के व बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही ग्राम नांगली में स्थित कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 37, 72, 105, 64/144 व नया खसरा नम्बर 138, 144, 199, 89, 90, 91 कुल किता 6 के राजस्व रिकॉर्ड वादी के पिता गणपतराम के देहान्त हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांकित 29.04.1986 में उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्रीचन्द के स्थान पर गलतरूप से धन्नाराम दर्ज कर दिया गया था जो धन्नाराम नाम हटाया जाने योग्य है। वादी का ग्राम नांगली व वादी के समाज व रिश्तेदारी व ग्राम नांगली में श्रीचन्द पुत्र गणपतराम के रूप में जाना व पहचाना जाता है। वादी का वास्तविक व सही नाम श्रीचन्द है।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

अतः निवेदन है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर उद्घोषणा इस कदर फरमाई जावे कि तहसील रामगढ़ शेखावाटी के ग्राम नांगली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 144 रकबा 2.52 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 90 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 91 रकबा 6.25 है. कुल रकबा 9.32 हैक्टेयर में दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार धन्नाराम पुत्र गणपतराम का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:16:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हटाया जाकर धन्नाराम के स्थान पर श्रीचन्द दर्ज फरमाया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर जारी रहेगा।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 ने इकबाली जबाब दावा पेश किया। वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र पी.डब्लू–1 तथा एक अन्य गवाह सुल्तानसिंह का शपथ पत्र पी.डब्लू 02 पेश किये तथा दस्तावेज प्रदर्श 01– प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–77, प्रदर्श 02–मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 03– मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 04– नामान्तरकरण संख्या 133, प्रदर्श 05 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय दिनांक 07.06.2013, प्रदर्श 06– बैंक ऑफ बडोदा की पास–बुक, प्रदर्श 07–निर्वाचक नामावली 2019, प्रदर्श 09–वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श 09–पास बुक, प्रदर्श 10–वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श 11– नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77, प्रदर्श 12 पेशन पास–बुक, प्रदर्श 13 पास बुक, प्रदर्श 14 आर्मी कार्ड, प्रदर्श 15 बैंक पास बुक, प्रदर्श 16 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 17 गैस कनेक्शन पास बुक, आदि दस्तावेजात पेश किये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा बैंक पास–बुक, निर्वाचक नामावली वर्ष 2019 जिसमें क्रम संख्या 335 पर श्रीचन्द पुत्र गणपतराम अंकित है। आधार कार्ड संख्या 480400604316, पास बुक, वाटर कार्ड, अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 266/149 रकबा 1.5271 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगली में, सर्विस रिकॉर्ड, आर्मी कार्ड, गैस कनेक्शन, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में वादी का नाम श्रीचन्द ही दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श संख्या–5, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी द्वारा दावा संख्या 222/2012 उनवान–श्रीचन्द बनाम तहसीलदार में दिनांक 07.06.2013 को निर्णय पारित किया गया है कि वादी का राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज धन्नाराम के स्थान पर श्रीचन्द नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये गये। वादी द्वारा एक अन्य प्रदर्श 11 जमाबंदी सम्वत 2074–77 खसरा नम्बर 266/149 वाके ग्राम नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिसमें में भी वादी का सही नाम श्रीचन्द पुत्र गणपतराम ही दर्ज है। प्रदर्श 4 नामान्तरकरण संख्या 133 से जाहिर होता है कि वादी का नाम नामान्तरकरण दर्ज करते समय ही धन्नाराम गलतरूप से हो गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्ल्यू 2 से वादी का नाम श्रीचन्द पुत्र गणपतराम साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:आदेश:–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसील रामगढ़ शेखावाटी के ग्राम नांगली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 144 रकबा 2.52 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 90 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 91 रकबा 6.25 है. में अंकित धन्नाराम पुत्र गणपतराम के स्थान पर श्रीचन्द पुत्र गणपतराम सा.देह उद्घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:16:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner